



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 162-2017/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, SEPTEMBER 8, 2017 (BHADRA 16, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 08 सितम्बर, 2017

संख्या पी०एफ०-69/2017/22404.— हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) की धारा 24 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उक्त धारा की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करते हैं, जिनके इसके द्वारा प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा इसके पश्चात् सरकार, नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों और सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा लिखित रूप में किसी व्यक्ति से नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

- (1) ये नियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) नियम, 2017, कहे जा सकते हैं।
(2) ये नियम 7 मार्च, 1976 से लागू हुए समझे जाएंगे तथा मध्यवर्ती अवधि के दौरान उपनिवेशकों द्वारा भुगतान की गई नवीकरण फीस जो नियमों में इस संशोधन से अधिक हो सकती है, जब्त हो जाएगी।
- हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976, में नियम 13 में
 - खण्ड (i) में
 - उप-खण्ड (क) में, "अनुज्ञप्ति के जारी करने के लिए नियम 3 में निहित फीस के 10 प्रतिशत की दर पर" शब्दों, अंकों तथा चिह्न के स्थान पर, "नियम 3 में निहित अनुज्ञप्ति फीस का 10 प्रतिशत जो नवीकरण के लिए आवेदन की तिथि को अभिभावी हैं," शब्द, अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
 - उप-खण्ड (ख) में, "अभी पूर्ण किए जाने वाले कार्य की प्रतिशतता पर आधारित खण्ड 13 (i) (क) में निहित दर पर संगणित की गई राशि के 25 प्रतिशत से अन्यून नहीं। उपरोक्त प्रतिशतता 5 के गुणज से पूर्ण की जा सकती है।" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों तथा चिह्न के स्थान पर, "आंशिक समापन प्रमाणपत्र देने के समय पर अभिभावी दरों के अनुसार नियम 3 में निहित फीस का 2.5 प्रतिशत, क्षेत्र, जिसके लिए आंशिक समापन प्रमाणपत्र दिया गया है, पर उद्गृहीत किया जाएगा, जबकि बाकी क्षेत्र के लिए उपरोक्त उप-खण्ड (क) में निहित फीस उद्गृहीत की जाएगी," शब्द, चिह्न, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
 - खण्ड (ii) का लोप कर दिया जाएगा;

- (iii) खण्ड (v) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
“(v) सत्यापन के लिए अनुज्ञप्ति।”

अरुण कुमार गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 8th September, 2017

No. PF-69/2017/22404.— The following draft of rules further to amend the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 24 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975), is hereby published as required under Sub-section (1) of the said section, for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the following draft of the rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received in writing by the Principal Secretary to Government, Haryana, Town and Country Planning Department, Chandigarh from any person in respect to the draft of the rules before the expiry of the period so specified.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall be deemed to have come into force with effect from 7th March, 1976 and during the intervening period the renewal fee paid by the colonizers, which may become excess with this amendment in the Rule, shall be forfeited.
2. In the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976, in rule 13,
 - (i) In clause (i),
 - (a) in sub-clause (a), for the words, figures and sign “at the rate of 10% of the licence fee prescribed in rule 3 for the issuance of licence”, the words, figures and sign “10% of the licence fee prescribed in Rule 3 as prevailing on the date of application for renewal” shall be substituted;
 - (b) In sub-clause (b), for the words, figures and sign “not less than 25% of the amount calculated as per rates prescribed in rule 13 of clause (i) of sub-clause (a), based on the percentage of work still to be completed. The above percentage may be rounded off to multiples of 5”, the words, figures and sign “2.5 % of the fee prescribed in rule 3 as per the prevailing rates at the time of grant of part completion certificate, shall be levied on area for which the part completion certificate is granted, whereas for remaining area the prescribed fee as mentioned in rule 13, of clause (i) of sub-clause (a) shall be levied” shall be substituted;
 - (ii) Clause (ii), shall be omitted;
 - (iii) In Clause (v),
 - (iv) for the words “the licence”, the words “the licence for verification” shall be substituted.

ARUN KUMAR GUPTA,
Principal Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department.